फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2,
किशनगढ अजमेर (राज0)

पंजाब नेशनल बैंक बनाम घेवरचंद
दीवानी वाद संख्या 71/2021 (47/2012)
सीआईएस संख्या 60/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2024	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 23.04.2024 सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वे प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान है, जिन्हें न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर लिया गया है, वे प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में वांछित संशोधन करवाना चाहते है, जो हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण जिस जवाबदावे में संशोधन करना चाहते हैं, वह जवाबदावा उनके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ नहीं है। उन्हें इस जवाबदावे में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 घेवरचंद के विधिक वारिसान है, जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गवास होने के पश्चात् अपने आदेश दिनांकित 19.02.2024 द्वारा रिकार्ड पर लिया गया है। प्रार्थीगण ने जो संशोधन जवाबदावे में चाहे है, वे संशोधन उन वारिसान से संबंधित है। इस संबंध में सामान्य नियम (सिविल व दांडिक) 2018 के आदेश 20 नियम 12 में यह उपबंधित किया गया है कि– 1. संहिता के आदेश 1 नियम 10, आदेश 6 नियम 17 या आदेश 22 के तहत किया गया संशोधन का आवेदन पत्र ऐसे समस्त पारिणामिक संशोधन अंतरवलित करेगा। आवेदन यदि इन नियमानुसार नहीं है, निरस्त करने योग्य होगा। 2. जब किसी पक्षकार की वादकालीन मृत्यु हो जाती है तो इस निर्णित टिप्पण उस पक्षकार के नाम के सामने जोडा जावेगा एवं याचिका एवं अभिवचन के पाठ में आवश्यक परिणाम अनुसार संशोधन भी किया जावेगा। यथा नियम (1) के तहत प्रार्थना किया गया। इस तरह उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावेगा तो उनके हद तक परिणाम अनुसार संशोधन भी किये जाने की अनुमति प्रदान की जावेगी। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार आवश्यक संशोधन जवाबदावे में किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे इन संशोधनों के अलावा अपना जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर सकेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत होने संशोधित जवाबदावा दिनांक..... को पेश हो। (संदीप आनन्द)	